पैमाने पर तस्कर-व्यापार नहीं होता। अफीम तथा अन्य नारकोटिक्स की चोर-बाजारी को रोकथाम करना अनिवार्यत: राज्य-सरकारों की जिम्मेदारी है। नारकोटिक्स विभाग तथा राजस्व गुप्त-चर्या निदेशालय के कर्मचारी भरोसेमन्द मुखबिरों तथा अन्य साधनों से सूचना इकट्ठा करके राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क और पुलिस जैसी एजेंसियाँ तथा नारकोटिक्स कमिश्नर के कर्मचारी देश के भीतरी भागों में तथा देश के बाहर जाने के स्थानों पर सतर्क चौकसी रखते हैं और अफीम की चोर-बाजारी को रोकने के समुचित उपाय करते हैं, जिनमें ये उपाय भी शामिल हैं:—

(i) सुगमता से पार करने योग्य सभी स्थानों पर रोक-थाम की समुचित कार्यवाही करना;

(ii) समुद्र में चलने वाले संदिग्ध जलयानों की तलाशी लेना;

(iii) नारकोटिक्स अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये नाविकों के रजिस्ट्री-प्रमाण-पत्रों को रद्द करना;

(iv) सड़क तथा रेल यातायात की जहां कहीं आवश्यक हो जांच करना;

(v) नारकोटिक्स कमिश्नर के कर्मचारियों द्वारा 'इंटरपोल' तथा दूसरे देशों में उसी प्रकार की अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना;

(vi) पोस्त को खेती को, अधिक अच्छी तरह नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से उसे संश्लिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखना;

(vii) लाइसेंस-सिद्धान्त प्रणाली को लागू करके अनुत्पादन क्षेत्रों तक अवांछनीय काश्तकारों को हटा देना;

(viii) पोस्त के उत्पादक द्वारा जो औसत उपज देनी होती है, उसे वर्ष-प्रति-वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ाना, जिससे लाइसेंस देने के सिद्धान्तों के अन्तर्गत उत्पादक की पात्रता आंकी जा सके;

(ix) 1-4-1959 से अफीम की गैर-सरकारी दुकानें बन्द कर देना।

ALCOHOLIC DRINKS

3585. SHRI TULSHIDAS JADHAV: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the number of breweries and the amount of alcoholic drinks prepared in 1946 and 1966; and

(b) the reasons for increase thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA): (a) Setting up breweries and determination of the quantity of alcoholic drinks to be manufactured do not require the approval of the Central Government as Prohibition is a State subject. The Government of India have no information in this regard.

(b) Does not arise.

संसद् सदस्यों की सिफारिश पर क्वार्टरों का आउट-आफ-टर्न अलाटमेंट

3586. श्री लखन लाल कपूर:

श्री मोलहू प्रसाद:

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्वार्टरों को आउट-आफ-टर्न देने के लिये संसद् सदस्यों की सिफारिशों के साथ सम्पदा निदेशालय में अब तक कितने आवेदन आये हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को आउट-आफ-टर्न क्वार्टर दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डाक्टरी आधार पर आवेदन-पत्र देने पर भी संसद् सदस्यों की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 356 ।

(ख) 135 ।

(ग) और (घ). जी नहीं । संसद् सदस्यों की सिफारिशों की कतई आवश्यकता नहीं । आवंटन नियमावली में बगैर पारी के वास के आवंटन के लिए व्यवस्था है । सरकार पत्र संख्या 5/7/64-वी० एंड सी,० दिनांक 27 दिसम्बर, 1967 के द्वारा आदेश जारी कर चुकी है कि सरकारी कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने आवेदनों को भेजे ।

RANA PRATAP SAGAR PROJECT

3587. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan has asked for additional loan to meet the expenditure on Rana Pratap Sagar Project;

(b) if so, the quantum of loan asked for;

(c) whether Government have agreed to give it to the Rajasthan Government; and

(d) the total amount of loan given so far for this project ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The total amount of loans given so far to the Government of Rajasthan for financing expenditure on Chambal Project, which includes Rana Pratap Sagar dam, is Rs. 45,78,92,800/-.

कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत बांध का निर्माण

3588. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना के अन्तर्गत हनुमान नगर बांध के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी;

(ख) इस बांध के निर्माण के लिये नेपाल सरकार के साथ क्या शर्तें तथा निबन्धन तय किये गये हैं और इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

(ग) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार का इस बांध पर पूर्ण नियंत्रण है और नेपाल सरकार वहां पर कर वसूली करती है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोसी परियोजना में लगे कर्मचारियों के साथ भी इस बांध पर उचित व्यवहार नहीं किया जाता और उनकी तलाशी ली जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि ये प्रतिबन्ध हटा लिये जायें ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक 28.72 करोड़ रुपये ।

(ख) बराज बनाया जा चुका है । बराज के निर्माण की शर्तें भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच 25-4-1954 को हुए तथा 19-12-1966 को संशोधित कोसी परियोजना सम्बन्धी करार में दी हुई हैं ।

(ग) बिहार सरकार का बराज पर पूर्ण नियन्त्रण है । नेपाल सरकार, जिसे बराज के क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार है, वहां कर वसूल करती है । किन्तु बराज के पुल के यातायात पर नेपाल सरकार कोई कर नहीं लगाती ।

(घ) और (ङ). परियोजना कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला बिहार सरकार के नोटिस में नहीं आया है । किन्तु नेपाल सरकार गाड़ियों तथा ड्राईवरों के लाईसेंसों की जांच करने के अतिरिक्त नेपाल राज्य में आने तथा वहां से जाने वालों की सीमा-शुल्क सम्बन्धी जांच भी करती है ।

यदि कोई मामला किसी को फजूल तंग करने का होता है तो उसको कोसी समन्वय समिति, जिसमें नेपाल तथा भारत सरकारों के प्रतिनिधि हैं, के ध्यान में उपयुक्त कार्यवाही के लिये ला दिया जाता है ।